

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(5)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 07.08.98 के प्रावधानान्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नांकित प्राध्यापकों रसायन विज्ञान को कॉलम संख्या 03 में अंकित चयन का वर्ष एवं कॉलम संख्या 04 में अंकित तिथि में स्केल नं. 12-ए (7500-12000) में वरिष्ठ वेतनमान संशोधित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान	चयन का प्रकार एवं वर्ष संशोधित	वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि संशोधित
01	02	03	04
01	सुरेश चन्द्र अग्रवाल, एसीबीईओ-III, कार्यालय सीबीईओ विराट नगर, जयपुर	डीपीसी 96-97 के स्थान पर 1995-96	31.03.2007 के स्थान पर 31.03.2006

नोट:-उक्त कार्मिक के पूर्व में स्वीकृत 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-4/ववेमा/वो-III/07 दिनांक 13.12.07 को प्रत्याहारित किया जाता है, तत्पश्चात् उक्त आदेश प्रभावी होगा।

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याताओं की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाएं। आरवीआरईएस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।



(सौरन स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 18/08/2020

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगु/एसीपी-2018/2019-20/197
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
3. संबंधित संस्था प्रधान,.....।
4. संबंधित कार्मिक,.....।
5. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 (NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR - DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार ब्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंषा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रस	नाम व्याख्याता मस पदस्थापन (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड/पे मैट्रिक्स	स्वीकृत वेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ओम प्रकाश ढाका - राजास लक्ष्मणगढ, सीकर	11.06.64	10.08.89	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	10.08.19
2	अम्बाराम बिश्नोई - धोलिया, सांकडा पोकरण, जैसलमेर	04.05.67	09.08.89	डीपीसी 13-14	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	09.08.19
3	ओम प्रकाश यादव - नसीराबाद, बकानी, झालावाड	04.02.64	06.10.88	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	06.10.18
4	सुरेन्द्र कुमार भादू-पन्नीवाली जाटान, सादूलशहर, श्रीगंगानगर	21.01.65	01.07.88	डीपीसी 13-14	II 20वर्ष	9300-34800	4800	01.07.08

उक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुरतिक्रा में आवश्यक रूप से की जावे।

(सौरभ स्वामी)

आई.एस.
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 18/08/2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/एसीपी/2019/324

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 03- सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हा।जा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 04- संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
- 05- संबंधित कार्मिक.....।
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर